संख्या : 161 / XXIV-B-5 / 2020 / 03(01) / 2020

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 **देहरादून, दिनांक 14 मई, 2020**

विषय – **कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव/रोकथाम के दृष्टिगत किये गये लॉकडाउन एवं विद्यालयों के बंद रहने की अवधि में निजी विद्यालयों द्वारा लिये जा रहे शुल्क के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि **कोरोना वायरस** (COVID-19) संक्रमण से बचाव/रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त विद्यालय बंद किये गये हैं। उक्त के अनुक्रम में शासनदेश सं0–**130 / XXIV-B-5 / 2020 / 03(01) / 2020** दिनांक 22 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रदेश स्थित निजी विद्यालयों को ऑनलाईन/अन्य संचार माध्यमों से अध्यापन जारी रखने के प्रतिबन्ध के साथ मात्र स्वेच्छा से शुल्क देने वाले छात्रों के अभिभावकों से केवल वर्तमान माह का शुल्क ही लिए जाने की अनुमति दी गई थी। परन्तु कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन/अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण का कार्य नहीं करने के बावजूद भी अभिभावकों को शुल्क देने के लिए बाध्य करने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–131 दिनांक 02 मई, 2020 द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन निजी विद्यालयों को शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देशित किया गया था:–

1. ऐसे विद्यालय जो ऑनलाईन/अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, को सम्बन्धित अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) लेने की ही अनुमति होगी। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क (यथा मंहगाई/परीक्षा/वाहन /पंजिका आदि) नहीं लिया जायेगा।

2. ऐसे विद्यालय जो ऑनलाईन/अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं, को किसी भी प्रकार का शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे विद्यालय अपने निजी स्रोतों से ही अपने शिक्षकों/कार्मिकों का मासिक वेतन वहन करेंगे।

संज्ञान में आया है कि निजी विद्यालयों द्वारा उपरोक्त निर्देशों को अपने पक्ष में परिभाषित करते हुये छात्रों एवं अभिभावकों को शुल्क जमा करने हेतु बाध्य किया जा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर पी0आई0एल0 संख्या 59 एवं 60/2020 में दिनांक 12 मई 2020 को मा0 न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किये गये है:–

since the government order dated 02.05.2020 enables only those institutions which run online classes to collect tuition fees, it is only those students, who are

able to access the online course being offered by the private educational institutions, who would be required to pay the tuition fee, if they choose to do so.

उक्त के अतिरिक्त निजी विद्यालयों में अपर किडर गार्टन तक अध्ययनरत समस्त छात्रों जो ऑनलाईन शिक्षण से लाभान्वित होने में सक्षम नही है, के शिक्षण शुल्क के सम्बन्ध में विचार करने हेतु आदेश पारित किये गये है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी विद्यालय मात्र उन्ही छात्रों से जो ऑनलाईन शिक्षण से लाभान्वित हो रहे है तथा स्वेच्छा से शिक्षण शुल्क (Tution Fee) दे सकते है, से ही सम्बन्धित माह का शिक्षण शुल्क (Tution Fee) लिया जाय।

राज्यान्तर्गत स्थित समस्त निजी विद्यालय उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कृपया उक्त का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

पृ0सं0 : (1)/**XXIV-B-5**/**2020**/**03(01)**/**2020** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
10. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0/प्रा0शि0), गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
13. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
14. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
15. प्रदेश स्थित उक्त विभिन्न बोर्डों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को (मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
16. गार्ड फाईल।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।